IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(Letters Patent Appellate Jurisdiction)

L.P.A.No.-________ of 2012.

(Arising out of C.W.J.C.No.-10936 of 2011)

Ramendra Kumar Ravi .... Petitioner/Appellant.

Versus

The State of Bihar and ors.. Respondents.

Sub- L.P.A

INDEX

Sl.No.	Particulars.	Pages.
1	Petition with Affidavit-	1 to 10.
2.	xxxxxxxxxx-	
	Vakalatnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(Letters Patent Appellate Jurisdiction)

L.P.A. No.-________ of 2012.

(Arising out of C.W.J.C.No.-10936 of 2011)

Ramendra Kumar Ravi .... Appellant.

Versus

The State of Bihar and ors.... Respondents.

S Y N O P S I S

Prayer for directing the concerned respondents to reinstate the petitioner on the post of panchayat teacher/Block teacher after setting aside the order dated- 22.2.12 passed by the Hon'ble Mr. Justice Ajay Kumar Tripathi in C.W.J.C.No.- 10936 of 2011 by which order dated-11.2.11 passed by the learned District Teacher appointment Appellate Authority is confirmed whereby Appellant has been terminated.

25.2.03- Appellant was appointed on 25.2.03

26.2.03- Thereafter he has joined as a post of Shiksha Mitra in middle School, Jharkaba No. 2.

19.6.04- Thereafter service of the appellant was extended for 11 months.

11.7.05- Service of the appellant was also extended for next 11 months.

1.7.06- That meantime panchayat teacher Act-2006 was come inforce w.e.f. 1.7.06.

3.7.2009- That panchayat teacher Act 2006 was already amended in 2009.

Hence memo of appeal.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(Letters Patent Appellate Jurisdiction)

L.P.A.No.-________ of 2012)

(Arising out of C.W.J.C.No.-10936 of 2011)

In the matter of an

appeal Under Clause 10 of

the Patna High Court,Rules

A N D

In the matter of;

Ramendra Kumar Ravi, son of late Bhuvneshwari

Yadav, resident of village-Jharkaha,P.S.-Shankarpur

District- Madhepura ..... Appellant.

Versus

1. The State of Bihar through principal

Secretary, Department of Human Resource Development, Government of Bihar, Patna.

2. The Director, Primary Education, Department Government of Bihar, New Secretariat, Patna.

3. The District Teachers Employment appellate Tribunal, District-Madhepura.

4. The District Magistrate, Madhepura.

5. The Block Development Officer, Shankarpur, P.S.-Shakarpur, District- Madhepura.

6. The Block Education Extension Officer, Shankarpur P.S.- Shankarpur, District- Madhepura.

7. The Mukhia, Gram Panchayat, Jharkaha, P.S.- Shankarpur, District- Madhepura.

8. The Panchayat Secretary, Gram Panchayat [redacted] Maura Jharkaha, P.S.- Shankarpur, District-Madhepura.

9. Vivekanand Yadav, son of Dunilal Yadav, resident

of village and post office-Kalhua, P.S.-Shankarpur

District- Madhepura.

.... Respondents.

To,

The Hon'ble Justice Ms. Rekha M. Doshit,

the Chief Justice of the High Court of

Judicature at Patna and her companion justices of

the said Hon'ble Court.

The humble petition on

behalf of the aforesaid

appellant.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this memo of appeal is filed

directed against the order dated- 22.2.12 passed

by the Hon'ble Mr. Justice Ajay Kumar Tripathi in

C.W.J.C.No.- 10936 of 2011 by which order dated-

11.2.11 passed by the learned District Teacher

appointment Appellate Authority is confirmed whereby and whereunder service of the petitioner has been terminated and It is further prayed for reinstate the petitioner on the said post of Panchayat / Block teacher.

2. That the petitioner not moved earlier in this matter before this Hon'ble Court.

3. That the petitioner was appointed on 25.2.03 as a post of Shiksha Mitra in middle School, Jharkaha No.-2 and thereafter he has joined on 26.02.03.

That service period of appellant was extended to next 11 months on 19.6.04. That service period of appellant was also extended to next 11 months on 11.7.03.

That after expiry of the period of 11 months

the period of contract of this appellant was also extended because his service was also found satisfactory.

4. That Impugned order was passed on 22.2.12 by the Hon'ble Justice of this Hon'ble Court by which order dated- 11.2.11. passed by the District Teacher appointment appellate authority is confirmed without considering the facts and circumstances of this case.

Being aggrieved by and dissatisfied with the order dated- 11.2.11 passed by the District Teacher Appellate authority, Madhepura and same was confirmed by the order dated- 22.2.10, passed in C.W.J.C.No.-10936 of 201 by the Hon'ble Mr. Justice Ajay

Kumar Tripathi, the Appellant abovenamed begs to prefer this memo of appeal on amongst others the following

GROUNDS:

I. For that the order Under appeal is bad in law as also on facts.

II. For that the learned Single Judge has passed the order Under Appeal against the petitioner is without considering the facts and circumstances of this case.

III For that the learned appellate authority has wrongly passed the order that really tribunal was not competent to entertain the dispute and it can not go into the question of validity of Shiksha Mitra

IV. For that without considering the facts and circumstances of this case Hon'ble Single Judge has confirmed the order of the learned appellate authority is not sustainable in law.

V. For that the appellant was appointed in the year 2003 but no any complain was made within stipulated time i.e. 30 days. So his application against the petitioner can not be entertained.

VI. For that enquiry was conducted and it was held by Block Education Extension Officer Singheshwar, East under Madhepura District on 23.1.08, that claim of the respondent against the appellant is baseless but same was not considered by the Hon'ble Single Judge.

VII. For that the appellant was appointed in the year 2003 as a post of Shiksha Mitra and his service period was extended regularly and when his post was treated as Panchayat teacher on 1.7.06 thereafter complain was made and appellant was terminated after about eight years of his regular service, without considering the facts and circumstances of this case.

IX. For that the order under appeal is otherwise bad in law as also on facts which will be argued at the time of hearing of this application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this appeal issue notice and after

hearing the parties by setting aside the order dated- 11.2.11 passed by District Teacher appointment appellate Authority, Madhepura, and order dated- 22.2.12 passed by the Hon'ble Mr. Justice Ajay Kumar Tripathi, Justice of this Hon'ble Court, by which order dated- 11.2.11 passed by learned District Teacher Appellate Authority, Madhepura is confirmed.

AND / OR

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this the appellant shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Ramendra Kumar Ravi, aged about 36 years, son of late Bhuvneshwari Yadav, resident of village-Jharkaha, P. S.-Shankarpur, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am appellant in this appeal as such ~~as~~ am well acquainted with the facts and circumstances of this case and have no any alias name.

2. That the contents of this appeal and the affidavit have been read over to me in Hindi and understood the same of which is true to the best of my knowledge and belief.

3. [illegible]

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.10936 of 2011

1. Ramendra Kumar Ravi S/O Late Bhuvneshwari Yadav R/O Vill. - Jharkaha, P.S. - Shankarpur, Distt. -Madhupura.

.... Petitioner/s

Versus

1. The State Of Bihar Through Principal Secretary Department Of Human Resources Development Department, Gov.Of Bihar, Patna.
2. The Director, Primary Education, Department Government Of Bihar, New Secretariat Patna.
3. The District Teachers Employment, Appellate Tribunal, Distt. - Madhepura.
4. The District Magistrate, Madhepura
5. The Block Development Officer, P.S. - Shankarpur, Distt. -Madhepura.
6. The Block Education Extension Officer, Moura.
7. The Mikhia, Gram Panchayat, Moura Jharkaha, P.S. -Shankarpur, Distt. - Madhepura.
8. The Panchayat Secretary, Gram Panchayat Moura Jharkaha P.S. - Shankarpur, Distt. -Madhepura.
9. Vivekanand Yadav S/O Dunilal Yadav R/O Vill. And P.O. - Kalhua, P.S. - Shankarpur, Distt. -Madhepura.

.... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Durgesh Kumar
For the Respondent/s : Mr. V.M.K Sinha AAG 13
Mrs. Juhi Kumari, A.C.

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE AJAY KUMAR TRIPATHI
ORAL ORDER

2 22-02-2012 There is nothing on record of the present writ application to belie the finding given by the District Teachers Appointment Appellate Authority, Madhepura in the order impugned contained in annexure-6 wherein it is categorically held that petitioner Ramnandan Prasad Raman suppressed his name, date of birth etc. and re-registered himself as Ramendra Kumar Ravi and sat for matriculation examination second time over.

There are series of documents in reaching such a conclusion and the Appellate Authority has finally come to the opinion that petitioner had committed fraud and a criminal act to obtain employment. It was in this background that his appointment came to be annulled.

The findings being what they are, no interference is required with the impugned order, especially when there is no un-impeachable evidence to establish that such a finding given by the Appellate Authority is incorrect.

This writ application is dismissed.

Amin/- Sd/- **(Ajay Kumar Tripathi, J)**

CERTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY
For Joint Registrar (J)
Patna High Court
15.3.12
Authorised U/S 76 Act 1 of 1872

Annexure-6

30

न्यायालय

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा

अपील संख्या 96/2009

विवेकानन्द यादव —— वादी

बनाम

रामनन्दन प्रसाद रमण पिता भुवनेश्वरी यादव —— प्रतिवादी

<u>आदेश</u>

11.02.2011 1. यह अपील जिला पदाधिकारी के मेमो नं0 1414 दिनांक 17.09.09 के द्वारा प्राप्त हुआ। इस अपील का वादी विवेकानन्द यादव ने शिक्षा मित्र नियोजन वर्ष 2003 में ग्राम पंचायत मेरा झरकाहा प्रखण्ड शंकर में नियोजन में बरती गई अनियमितता के खिलाफ दायर किया है। वादी का आरोप है कि शिक्षा मित्र में नियोजन हेतु वर्ष 2003 में ग्राम पंचायत मोरा झरकाहा में ये आवेदन दिया था। इन्हें मैट्रिक में 63.11 प्रतिशत अंक प्राप्त था परन्तु नियोजन ईकाई मोरा झरकाहा ने इनका नियोजन नहीं करके प्रतिवादी रामनन्दन प्रसाद रमण पिता भुवनेश्वरी यादव सा0 झरकाहा थाना शंकरपुर जिला मधेपुरा का नियोजन किया हे। इनका यह आरोप है कि रामनन्दन प्रसाद रमण 1981 ई0 में जिला स्कूल सहरसा से मैट्रिक परीक्षा पास किया था और इनका रोल कोड 4103 क्रमांक 0202 एवं जन्म तिथि 05 अप्रील 1964 है लेकिन रामनन्दन प्रसाद रमण अपना नाम बदलकर उम्र छिपाने के उद्देश्य से रमेन्द्र कुमार रवि बनकर सियाराम उच्च विद्यालय जोगबनी से मैट्रिक परीक्षा वर्ष 1994 में उर्त्तीण किया और इसमें अपना जन्म तिथि बदल कर 15 जुन 1975 रखा और इसी आधार पर जन्मतिथि 15 जुन 1975 दिखाकर शिक्षामित्र में नियोजन हेतु आवेदन दिया। रामनन्दन प्रसाद रमण अपना नाम बदलकर रमेन्द्र कुमार रवि रखा और मैट्रिक के प्रमाण--पत्र के अवैध प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजन करवा लिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2006 के मतदाता सूची में इसका नाम रामनन्दन प्रसाद यादव उम्र 46 वर्ष है। इनका उम्र 2003 में 43 वर्ष होता है। रमनन्दन प्रसाद रवि शिक्षा मित्र 2003 में नियोजन हेतु योग्य नहीं थे।

11-7-11

अवैद्य प्रमाण–पत्र के आधार पर आज तक शिक्षा मित्र के रूप में पदस्थापित हैं। जिला पदाधिकारी मधेपुरा के यहाँ दिनांक 20.09.2006 को आवेदन दिया था। जिला शिक्षा अधीक्षक के यहाँ आवेदन दिया जिसके परिणामस्वरूप इनका मानदेय का अगले आदेश तक स्थगित रखा जिसका पत्रांक 791 दिनांक 19.11.06 है। लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं किए। अतः इनका प्रार्थना है कि रमेन्द्र कुमार रवि को पदमुक्त कर वादी का नियोजन किया जाय।

2. प्रतिवादी रमेन्द्र कुमार रवि अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना जबाब दाखिल किया है। प्रतिवादी का प्रतिउत्तर यह है कि वर्ष 2003 में शिक्षा मित्र के नियोजन का मूल अधिकार मैट्रिका का परीक्षा का प्राप्तांक था। प्रतिवादी का मेघा अंक ज्यादा था और वादी का मेघा अंक कम था इसलिए वादी का नियोजन नहीं हुआ। प्रतिवादी का यह भी प्रतिउत्तर है कि मतदाता सूची में भी उत्तरवादी का नाम रविन्द्र कुमार रवि है और उत्तरवादी ने अपने नाम से जमीन खरीदा है उसमें क्रेता का नाम रविन्द्र कुमार रवि है। प्रतिवादी ने यह भी जबाब दिया है कि वादी की पत्नी गत पंचायत चुनाव में समिति सदस्य से चुनाव लड़ी थी जिसमें प्रतिवादी ने विरोध किया था इसलिए यह केश वादी ने किया है।

3. वादी और प्रतिवादी के कथन के आधार पर निर्णय हेतु निम्नलिखित ध्यान बिन्दु गठित किया जाता है :–

(i) क्या प्रतिवादी रविन्द्र कुमार रवि रामानन्दन प्रसाद रमण एक ही व्यक्ति हैं और रामानन्दन प्रसाद ने अपना नाम बदलकर उम्र छिपाने के लिए दूसरा बार मैट्रिक की परीक्षा दिया जिसमें उसने अपना नाम रविन्द्र कुमार रवि अंकित करवाया ?

32

(ii) क्या रामानन्दन प्रसाद ने नियोजन करवाने के लिए अपना असल जन्म तिथि छिपाया और इस तरह आपराधिक कृत किया है ?

(iii) क्या अपील कालबाधित है ?

(iv) क्या वादी का नियोजन अब शिक्षा मित्र के रूप में किया जा सकता है ?

4. सबसे पहले न्याय बिन्दु iv पर विवेचना करना आवश्यक प्रतीत होता है। वादी का प्रार्थना है कि प्रतिवादी को हटाकर उनका नियोजन शिक्षा मित्र के रूप में किया जाय। इस संबंध में बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग, पटना का स्पष्ट दिशा–निर्देश विभाग के पत्रांक 108 दिनांक 31.01.07 में दिया गया है। जिसके अनुसार बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के प्रभावी होने की तिथि से पंचायत शिक्षा मित्र नियोजन नहीं हो सकता है। इस पत्र में यह भी दिशा–निर्देश है कि अगर किसी शिक्षा मित्र के नियोजन में जाँचोपरान्त गड़बड़ी पायी जाती है तो उसे हटाया जा सकता है परन्तु उस स्थान पर शिक्षा मित्र में नियोजन नहीं हो सकता है। अतः वादी का शिक्षा मित्र में नियोजन संभव नहीं है।

5. प्रतिवादी के शिक्षामित्र में नियोजन में गड़बड़ी की शिकायत की गई। इस संबंध में उपरोक्त गठित न्याय बिन्दु नंबर एक पर विवेचना करना आवश्यक प्रतीत होता है।

वादी का कथन है कि रवेन्द्र कुमार रवि और रामानन्दन प्रसाद रमण एक ही व्यक्ति हैं। प्रतिवादी का कथन है कि वे रामानन्दन प्रसाद नहीं है। उस आरोप एवं प्रत्यारोप को साबित करने के लिए दोनों पक्षों ने अपना–अपना कागजी सबूत दाखिल किया है। वादी की ओर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा निर्गत पत्रांक 637 दिनांक 21.06.10, रामानन्दन प्रसाद रमण का मैट्रिक का मूल प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, लोक सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा निर्गत आदेश जिसका

पत्रांक 13761 दिनांक 15.09.2009 एवं इन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराया गया निर्वाचक नियमावली 2007, निर्वाचक नियमावली 2009 का संशोधित सूची, निर्वाचक नियमावली 2009 का क्रमांक 193 पहचान नंबर SAJ 0021485 निर्वाचक नियमावली 2007 को पहचान नंबर BR /116/58215 दोनों फोटो सहित, मैट्रिक के अंक का छायाप्रति।

प्रतिवादी की ओर से रविन्द्र कुमार रवि द्वारा जमीन खरीद बिक्री का केवाला दिनांक 19.09.2009, 20.06.2007, 23.01.2008 एवं अन्य कागजात।

उपरोक्त उभय पक्षों द्वारा दाखिल किए गए कागजात का तुलनात्मक अध्ययन के बाद पता चलता है कि प्रतिवादी का जितना केवाला है यह उसके नियोजन के बाद का है। वादी द्वारा निर्वाचन नियमावली 2007 एवं निर्वाचन नियमावली संशोधित 2009 एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या एवं फोटो के अवलोकन से पता चलता है कि सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र बिहार की निर्वाचक नामावली 2007 के क्रमांक 345 पर रामनन्दन प्रसाद पिता भुवेनश्वरी प्रसाद का नाम अंकित है और इनका मतदाता पहचान पत्र संख्या BR/21/116/582157 है। उक्त नामावली का संशोधित नामावली 2009 में क्रमांक 193 पर रविन्द्र कुमार रवि का नाम अंकित है और पहचान संख्या SAJ 0021485 के फोटो देखने से साफ पता चलता है कि रामनन्दन प्रसाद यादव पिता भुवनेश्वरी यादव एवं रविन्द्र कुमार रवि एक ही व्यक्ति हैं। इसके अलावे प्र0 वि0 पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी शंकरपुर का प्रतिवेदन ज्ञापांक 75 दिनांक 23.12.10 के अवलोकन से पता चलता है कि पंचायत सचिव मौरा उरकाहा ने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि रमेन्द्र कुमार रवि

34

एवं रामनन्दन प्रसाद एक ही आदमी है और रामनन्दन यादव का उर्फ नाम रमेन्द्र कुमार रवि है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा दाखिल केवाला में प्रतिवादी ने उर्फ नाम से केवाला किया है और यह सभी केवाला उनके नियोजन के बाद का है। अतः वादी द्वारा दाखिल साक्ष्य में ठोस प्रमाण मौजूद है कि रामनन्दन प्रसाद यादव एवं रविन्द्र कुमार रवि एक ही व्यक्ति हैं और रामनन्दन प्रसाद यादव का उर्फ नाम रविन्द्र कुमार यादव है।

6. प्रतिवादी द्वारा दूसरा आरोप लगाया गया है कि श्री रामानन्दन यादव ने जिला स्कूल, सहरसा से वर्ष 1981 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया है जिसमें उनका जन्म तिथि 05.04.64 है। यह तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक Pat – 637 एवं अन्य कागजात से सम्पुष्ट होता है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी ने अपना नियोजन मैट्रिक परीक्षा वर्ष 1994 में उर्त्तीणता के आधार पर करवाया है। प्रतिवादी सियाराम उच्च विद्यालय जोगबनी से परीक्षा उत्तीर्ण किया है और इसमें अपना उर्फ नाम रविन्द्र कुमार रवि रूप में परीक्षा दिया और अपना जन्मतिथि 15 जून 1975 लिखवाया है। इस तरह प्रतिवादी ने अपना उम्र कम करवाने के उद्देश्य से यह दूसरी बार मैट्रिक का परीक्षा दिया और अपना पूर्व का जन्म तिथि बदलाया। यह प्रतिवादी का आपराधिक कृत है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि रविन्द्र कुमार रवि एवं रविन्द्र कुमार रवि एक ही व्यक्ति हैं और अपना उम्र छिपाने के लिए मैट्रिक में दुबारा परीक्षा दिया।

7. अब न्याय बिन्दू दूसरे पर विवेचना आवश्यक है। उपरोक्त पारा में यह सिद्ध हो गया है कि प्रतिवादी ने जन्मतिथि छिपाने और उम्र घटाने के लिए दूसरी बार परीक्षा दिया और अपना नियोजन उम्र छिपाकर करवाया है। अतः प्रतिवादी का कृत आपराधिक कृत है।

ONE RUPEE

35

8. जहाँ तक अपील कालबाधित है या नहीं का प्रश्न उठता है प्रतिवादी के आपराधिक कृत एवं जालसाजी को देखते हुए प्राधिकार को बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 3716 दिनांक 23.10.08 के नियम ख (iv) में दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए कालावधि अवधि को विलोपित किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नियोजित शिक्षा मित्र रमेन्द्र कुमार रवि का नियोजन नियोजन सचिव रद्द करें और उनके आपराधिक कृत के लिए न्यायसम्मत कारवाई कर सूचित करें। आदेश की प्रति सचिव ग्राम पंचायत भौरा झरकाहा, प्र0 शि0 पदाधिकारी शंकरपुर, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश के अनुपालन हेतु भेंजे। कार्यालय लिपिक अनुपालन पंजी में दर्ज कर अनुपालन अभिलेख खोलें।

11/2/2011

सदस्य
जिला शिक्षक नियोजन
अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा।

प्रमाणिकरण शुल्क
96=
तुलन लिपिक
26.2.11

COMPARED BY
26.2.11
Comparing Clerk

Cerrified to be a true
26.2.11
Head Clerk
U/S 76 Act, 1of 1872